फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

रामस्वरूप बनाम दीपक शर्मा व अन्य

केस संख्या 257/2022 (रिव्यु प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
05.12.2022	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित है। अप्रार्थीगण के रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये, किन्तु कोई उपस्थित नहीं है। प्रार्थी का कथन है कि आदेश दिनांक 20.10.2022 में अपीलार्थी के मकान से बेदखली के बिन्दू पर उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर दिया जाकर निस्तारण किये जाने हेत प्रकरण अधीनस्थ अधिकरण को प्रतिप्रेषित किया गया हैं। माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एण्ड हरियाणा चंडीगढ द्वारा न्यायिक दृष्टानत CWP No. 25148/2018 " Surindera Devi V/s State of Punjab and others आदेश दिनांक 14.07.2022 में बताया गया है कि " In the totality of circumstances and as an upshot of the above discussion, I am of the view that the appellate Tribunal is not conferred with the power of remand under Section 16 of the statute and upon entertaining the appeal must either reject or accept the same, wholly or partly as the case may be. Therefore, the impugned appellate order herein is not sustainable and is accordingly set-aside. The matter order is remanded back to the appellate Tribunal for fresh consideration and adjudication. The parties are at liberty to move appropriate application before the appellate Tribunal. अधीनस्थ अधिकरण को मामला प्रतिप्रेषित किये जाने से न्याय में देरी होगी और न्याय में देरी अन्याय के सामान है तथा माननीय न्यायालय के द्वारा उक्त प्रकरण मे आदेश दुरूस्त फरमाये जाकर आवश्यक रूप से उचित विधिक कार्यवाही स्वतः ही अमल में लाई जानी चहिये जिसे कि समाज में न्याय एवं न्यायिक प्रणाली व्यवस्थित बनी रहे। अतः पत्रावली संख्या 07/2022 व उनवानी रामस्वरूप बनाम दीपक शर्मा व अन्य में पारित आदेश दिनांक जिला कलक्टर जयपुर	

फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

रामस्वरूप बनाम दीपक शर्मा व अन्य

केस संख्या 257/2022 (रिव्यु प्रार्थना पत्र)

दिनाक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	वि
05.12.2022	20.10.2022 को उचित रूप से दुरूस्त किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के विरूद्व प्रार्थी की स्वयं की आय से अर्जित सम्पत्ति से बेदखली के बिन्दू पर निर्णय पारित किया जाकर उचित आदेश प्रदान करें। प्रार्थी को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया यह सही है कि अपीलीय अधिकरण अपील को खारिज या स्वीकार करे, किन्तु कुछ मामलों में जांच किये जाने की आवश्यकता होने पर अधीनस्थ को प्रतिप्रेषित किया जा सकता है। इस मामले में स्व अर्जित सम्पत्ति से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 को बेदखल किये जाने का अनुतोष चाहा है। इस बिन्दु पर किसी प्रकार का निर्णय दिये जाने से पूर्व उभय पक्ष की साक्ष्य व शहादत के पश्चात ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। इसलिए उक्त प्रकरण को अधीनस्थ अधिकरण को प्रतिप्रेषित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार का संशोधन किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। फलस्वरूप रिव्यु प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो। (प्रकाश राजपुरोहित) जिला कलक्टर जयपुर	